<u>न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, देहरादून।</u>

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1707 सन् 2022

सचिन प्रति उत्तराखण्ड राज्य

मु0अ0सं0 389 सन् 2022
धारा–420, 409, 120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं 3, 4, 6, 9, 10 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998
थाना– रायपुर, जिला देहरादून।

<u>दिनांकः 19.10.2022</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सचिन की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र थाना रायपुर, जिला देहरादून में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 389 सन् 2022 अन्तर्गत धारा 420, 409, 120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं 3, 4, 6, 9, 10 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 में जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30.09.2022 से जिला कारागार, देहरादून में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है तथा उसके विरूद्ध की गई उपरोक्त कार्यवाही विधि विरूद्ध है, जिसका कोई प्रमाण अभिलेख पर उपस्थित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मामले में पीड़ित/व्यथित व्यक्ति है। प्रार्थी को पुलिस द्वारा सांठगांठ करके बड़े अफसरों को मुकदमे से बचाने के इरादे से झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है, जिसका कोई भी साक्ष्य दौराने विवेचना प्रकाश में नहीं आया है तथा मामले में विवेचना अधिकारी द्वारा अपनी विवेचना में घटनास्थल के सी.सी.टी.वी. फुटेज खंगाले गए तथा उनकी जांच करने पर प्रार्थी/अभियुक्त कहीं भी किसी भी सी.सी.टी.वी. फुटेज में कोई भी संदिग्ध गतिविधि करते दिखाई नहीं दिया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त की उपरोक्त प्रकरण में कोई भी संलिप्तता नहीं है और न ही प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को सहअभियुक्त के बयान के आधार पर उपरोक्त मामले में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को शासकीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली एन.एस.ई.आई.टी. कम्पनी द्वारा एक माह के

लिए सहायक के तौर पर नौकरी पर रखा था। प्रार्थी/अभियुक्त का कार्य परीक्षार्थी को उनके प्रवेश पत्र व आधार कार्ड से परीक्षार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के उपरान्त परीक्षा हॉल में प्रवेश कराने तक सीमित था। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में तथा विलम्ब से दर्ज कराई गई है। अतः उसे इस मामले में जमानत प्रदान की जाए।

3. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आपत्ति संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 29.09.2022 को गिरफ्तार किया गया था तथा वह दिनांक 30.09.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त वन दरोगा भर्ती परीक्षा–2021 में सेवा प्रदाता कम्पनी एन.एस.ई.आई.टी. द्वारा उक्त परीक्षा केन्द्र पर स्वामी दर्शनानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड टैक्नोलॉजी हरिद्वार में एसिसटेण्ट चीफ प्रोक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। दौराने अन्वेषण परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तों निशांत एवं अन्य के साथ मिलकर एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत आरोपी अभ्यर्थी दीक्षित कुमार की सीट परिवर्तित कर उसका सी.सी.टी.वी. कवरेज से बाहर सीट पर बैठाया गया तथा अपने साथी कार्मिक/सहअभियुक्त के साथ मिलकर आरोपी अभ्यर्थी दीक्षित कुमार के ऑनलाईन प्रश्न पत्र का विडियो तैयार कर परीक्षा लैब से बाहर भिजवा कर लगभग 01 घण्टे में उत्तर पर्ची लाकर आरोपी अभ्यर्थी को नकल हेतु उपलब्ध करवाई गई। जिसकी पुष्टि आरोपी अभ्यर्थी के कम्प्यूटर लॉग व आनसरिंग पैटर्न व परीक्षा केन्द्र के सी.सी.टी.वी. फुटेज के अवलोकन से भी हुई है। अन्वेषण के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय उसके मोबाईल फोन से अभियोग में नामजद आरोपी अभ्यर्थी जीशान का मोबाईल नम्बर कानटैक्ट लिस्ट में सुरक्षित होना पाया गया तथा प्रार्थी/अभियुक्त के मोबाईल नम्बर 7906693365 की सी.डी. आर. के अवलोकन से भी प्रार्थी/अभियुक्त व नामजद आरोपी का आपस में सम्पर्क में होना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का जुर्म संगीन प्रकृति का है। अतः जमानत का घोर विरोध किया जाता है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित कुमार एवं विद्वान ए.डी. जी.सी. (दाण्डिक) श्री जे. के. जोशी को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

5. प्रार्थी/अभियुक्त पर यह अभियोग है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.07.2021 से दिनांक 25.07.2021 तक उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित वन दरोगा के कुल 316 रिक्त पदों के चयन हेतु परीक्षा में सेवा प्रदाता कम्पनी एन.एस.ई.आई.टी. की ओर से परीक्षा केन्द्र स्वामी दर्शानानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड टैक्नोलॉजी में एसिसटैण्ट चीफ प्रॉक्टर के पद पर कार्यरत था तथा उसने परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा से

पूर्व अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरूपयोग कर पूर्व निर्धारित उनकी सीट को बदलकर ऐसी सीट आवंटित किया, जो परीक्षा केन्द्र में लगाए गए सी.सी.टी.वी. कैमरे की परिधि से बाहर हो। तत्पश्चात् सम्बन्धित अभ्यर्थी के ऑनलाईन प्रश्न पत्र का विडियो तैयार करवाकर अन्य सहअभियुक्त से बाहर भिजवाया और 01 घण्टे में उत्तर पर्ची लाकर आरोपी अभ्यर्थी को नकल कराया। पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए अभियोग को दर्शित करने के लिए अन्वेषणकर्ता अधिकारी द्वारा युक्तियुक्त एवं सारवान मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित किया गया है। अन्वेषण अभी जारी है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाया गया अभियोग गम्भीर प्रकृति का है। अन्वेषण अभी जारी है। जमानत प्राप्त होने पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मामले से सम्बन्धित साक्षियों/साक्ष्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने एवं फरार होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना न्यायालय का मत है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सचिन द्वारा थाना रायपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 389 सन् 2022 अन्तर्गत धारा 420, 409, 120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं 3, 4, 6, 9, 10 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

(आशुतोष कुमार मिश्र)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
देहरादून